न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

अन्तर सिंह नेहरा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/रेफरेंस/10	15.09.2010	03.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

बलवीर सिंह आ. हरि सिंह कौम सिख,
निवासी गोविन्दपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी ने अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम सीन्ती के खसरा संख्या 116 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बिस्वा को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गै.मु. खाल' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.01.12 के आधार पर अप्रार्थी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं वर्तमान निवास के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण दिनांक 02.06.2020 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

जिला कलेक्टर, बून्दी

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा सं. 25) की किस्म 1947 से पूर्व खाल दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थी को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार खाल राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2000 से 2005, मिलान क्षैत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम सीन्ती की विवादित भूमि के पुराने खसरा सं. **25** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **खाल** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र सं. 9213–9244 दिनांक 13.11.07 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम सीन्ती में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 116 रकबा 9 बीघा 03 में से 02 बिस्वा पर अप्रार्थी को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.खाल दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 03.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.04 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: